

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)

-: अधिघोषणा :-

संख्या- भू-अर्जन, कटिहार - 2393/रा० दिनांक- 30-09-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा शिशिया थाना नं० 192 अंचल बरारी जिला कटिहार में सार्वजनिक परियोजनार्थ मौजा शिशिया पंचायत अन्तर्गत मुसहरी टोला से मुख्य सड़क तक सम्पर्क सड़क निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम शिशिया थाना नं० 192 के भीतर एक भू-खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कैमोवेश 0.30½ एकड़ (साढ़े तीस डिसमल) के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं० निम्नांकित है - 531,581,580,652 एवं 651 का अंश है एव जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर :- मौजा शिशिया थाना नं० 192 का सर्वे खेसरा नं० 532,576,577,580,652 एवं 651
दक्षिण :- मौजा शिशिया थाना नं० 192 का सर्वे खेसरा नं० 531,581,580,652 एवं 651
पूरब :- पक्की सड़क।
पश्चिम :- मौजा शिशिया थाना नं० 192 का सर्वे खेसरा नं० 533

भूमि या भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिघोषणा 1-1984 की धारा 6 और अधिनियम 18-1885 की धारा 3 के खण्ड (1)के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्सा भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

जिला भू० अर्जन पदाधिकारी
25/9 कटिहार

बपर समाहर्ता
कटिहार

समाहर्ता
कटिहार

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 2393/रा०/भू-अर्जन दिनांक: 30-09-13

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अर्जन, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनोपरान्त प्रकाशन सूचना जिला भू-अर्जन कटिहार को दी जाय।
प्रतिलिपि:- उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट प्रशाखा, कटिहार को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनोपरान्त 5-5 प्रति कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार/अंचल पदाधिकारी, बरारी/मुखिया ग्राम पंचायत राज शिशिया को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अधियाची पदाधिकारी को सूचनार्थ।
प्रतिलिपि:- हितवद्य रैयतों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव